सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रॉकः विप0–3/(205)/2010– 558 दिनॉकः 23 सितम्बर, 2010

समस्त सं0 उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0।

विषयः–खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में धान क्रय हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1042/29–4–2010 दिनांक 16 सितम्बर, 2010 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मण्डी समितियों के स्तर से क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुख–सुविधा के साथ ही बिन्दु संख्या–5 पर प्रत्येक केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक कॉटों की व्यवस्था कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

तत्क्रम में शासन स्तर से प्राप्त नवीनतम् निर्देशानुसार प्रत्येक क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक कांटे उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जनपद के जिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इलेक्ट्रानिक कांटों की क्रयदारी हेतु जनपद के जिलाधिकारी को पूर्व में ही अधिकृत किया जा चुका है।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2010 की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में वर्णित समस्त व्यवस्थायें नियमानुसार तत्काल सुनिश्चित कराते हुए व्यवस्थाओं के संबंध में विलम्बतम् दिनांक 27.09.2010 तक प्रत्येक दशा में अनुपालन आख्या परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक–यथोपरि।

22.09.2010

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक

संख्या– 1042/29–4–2010

प्रेषक,

डा0 जे0एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
गोमतीनगर, लखनऊ।

ADO

20.9.10

राजेश कुमार सिंह
निदेशक
मण्डी परिषद उ० प्र०

1763
20/09

खाद्य एवं रसद अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2010

विषय :– खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में धान क्रय हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत आगामी धान खरीद दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से प्रदेश में प्रारम्भ की जानी है। इस सम्बन्ध में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या–800/29–4–2010–5(49)/2010 दिनांक 19 जुलाई, 2010 द्वारा समय सारिणी जारी की जा चुकी है, जिसमें धान खरीद हेतु प्रदेश में समस्त क्रय केन्द्रों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से क्रियाशील करने के आदेश दिये गये हैं।

2– प्रदेश में जनपद मथुरा, सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुरखीरी एवं महराजगंज जनपदों में धान की आमद अक्टूबर के प्रारम्भ में ही प्रारम्भ हो जाती है। अतः प्रदेश में क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले जाने वाले सभी धान क्रय केन्द्रों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 तक सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। प्रदेश की विभिन्न मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख–सुविधा हेतु व्यवस्थाएं की जाती है। जिनमें पेयजल, बैठने के लिए शामीयाना, तख्त, दरी, रोशनी, धान को बचाने हेतु त्रिपाल, पशुओं के लिए पानी, चारा, नांद, इत्यादि की व्यवस्था मण्डी समितियों द्वारा की जानी अपेक्षित है। इस वर्ष भी इस व्यवस्थाओं को समय से किये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त मण्डलीय उपनिदेशकों को निदेशित करने का कष्ट करें।

3– धान की नमी की जांच हेतु प्रत्येक केन्द्र पर अनिवार्य रूप से नमी मापक यंत्र की व्यवस्था की जानी है। यह संज्ञान में आया है कि मण्डी

परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकतर नमी मापक यंत्र क्रियाशील नहीं है तथा उनके रिप्लेसमेन्ट तथा रिपेयर की आवश्यकता है। कृपया इसे एक अभियान के रूप में लेकर नमी मापक यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। व उनके क्रियाशील रखने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

4— क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान गुणवत्ता के आधार पर रिजेक्ट न किया जा सके, उन्हें हतोत्साहित न होना पड़े, इस उद्देश्य से यह अपेक्षित होगा कि पावर बिनोवर की व्यवस्था करायी जाय जिससे कम समय में अधिक मात्रा में धान की सफाई अच्छी मात्रा में की जा सके, जिससे किसानों को धान का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। जिन मण्डियों में अधिक धान की आवक होती है उनमें क्रय केन्द्रों के अतिरिक्त पृथक रूप से भी पावर बिनोवर की सामान्य व्यवस्था भी किसानों के लिए हितकर होगी।

5— क्रय केन्द्रों पर कम समय में अधिक और सही मात्रा में धान की तौल हो सके व किसानों को प्रतीक्षा न करनी पड़े इस उद्देश्य से प्रत्येक केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक कांटे की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रदेश के समस्त धान क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटे की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

6— धान क्रय योजना के प्रचार–प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष मण्डी परिषद द्वारा पोस्टर एवं हैण्डबिल की व्यवस्था की जाती है। उक्त व्यवस्था 01 अक्टूबर से पूर्व किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी उचित होगा कि मण्डी परिषद द्वारा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य–मुख्य स्थानों पर बड़े आकार के फलैक्सी बोर्ड/होर्डिंग लगवाकर धान क्रय योजना का प्रचार–प्रसार किया जाय, ताकि इस योजना के प्रति किसानों में विशेष जागरूकता उत्पन्न हो व उन्हें मूल्य समर्थन योजना का पूर्ण लाभ मिल सके। प्रचार प्रसार में इस बात का भी प्रचार किया जाय कि केन्द्र पर नमी मापक यंत्र, बिनोइंग फैन, इलेक्ट्रानिक तराजू उपलब्ध है।

प्रचार-प्रसार

7— मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से पूर्व सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 16.9.10

(डा0जे0एन0 चैम्बर)

प्रमुख सचिव।